मानव संसाधन विकास मंत्रालय

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ की कार्य-पद्धति

अध्याय III : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ की कार्य-प्रद्धति

विशिष्टताएं

❖ स्कूलों और विभागों के खोले जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जा सके।

(पैराग्राफ 3.3.1.1)

❖ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को XIवीं योजना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ था, जिससे निर्माण कार्य सौंपने में विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप योजना अवधि में महत्वपूर्ण भवन परियोजनाएं पूर्ण नहीं हो सकीं।

(पैराग्राफ 3.3.1.2)

❖ अप्रयुक्त निधियां वर्ष 2006-07 में ₹2.56 करोड़ से वर्ष 2011-12 में ₹54.30 करोड़ तक बढ़ गई।

(पैराग्राफ 3.3.2.1)

❖ शिक्षण स्टाफ की कमी 17 से 57 *प्रतिशत* के बीच थी।

(पैराग्राफ 3.3.4.1)

❖ विश्वविद्यालय अवसंरचना जैसे भवन तथा अन्य सुविधाएं अर्थात छात्रावास, क्रीड़ा परिसर, स्वास्थ्य केन्द्र आदि की कमी के साथ कार्य कर रहा था।

(पैराग्राफ 3.3.5.1)

अनुशंसाओं का सार

- *विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.)/मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.सं.वि.मं.) के परामर्श से स्कूलों एवं विभागों के खोले जाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करे, जैसाकि शैक्षणिक अध्यादेश में निर्धारित था।*
- *विश्वविद्यालय उचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु प्राप्त अनुदान के संदर्भ में अपने व्यय की योजना बनाए।*
- *विश्वविद्यालय निष्क्रिय निधियों का उपयुक्त निवेश सुनिश्चित करे।*
- *विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (रा.मू.प्र.प.) से अपने पाठयक्रमों का प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठाए।*
- *विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों के अनुसार शिक्षा और अनुसंधान गतिविधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाए।*
- *विश्वविद्यालय, अपने विद्यालयों या विभागों के लिए भवनों की उचित अवसंरचना के साथ-साथ अन्य सुविधाओं जैसे छात्रावास, स्वास्थ्य केन्द्र तथा क्रीड़ा परिसर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करें।*

3.1 प्रस्तावना

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ को राज्य सरकार द्वारा स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट/पोस्ट डॉक्टरेट अध्ययन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान प्रदान करने के लिए वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय को बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 के अधीन बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के नाम से पुनः नामित किया गया और विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित (जनवरी 1996) किया गया था। अधिनियम के अनुसार, विश्वविद्यालय के उद्देश्य होंगेः

(i) शिक्षण की ऐसी शाखाओं जहां पर यह उचित समझें, में निर्देशात्मक एवं अनुसंधान सुविधाएं मुहैया करवा कर उन्नत ज्ञान को बढावा देना;

(ii) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मुख्य सीमान्त क्षेत्रों तथा अन्य सम्बन्धित विषयों के लिए एकीकृत पाठ्यक्रमों का प्रावधान बनाना;

(iii) कृषि प्रौद्योगिकी एवं ग्रामीण शिल्प सहित सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास से सम्बन्धित उपयुक्त पाठ्यक्रम का प्रस्ताव करना;

(iv) उन सिद्धान्तों जिसके लिए बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर ने जीवन काल में काम किया, के अध्ययन को बढ़ावा देना अर्थात राष्ट्रीय एकीकरण, सामाजिक न्याय एवं जीवन की लोकतांत्रिक शैली एवं विश्व के संविधानों का अध्ययन करना और,

(v) परस्पर अनुशासनात्मक अध्ययन एवं अनुसंधान में शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में नवीनीकरण को बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाया जाना तथा जन सामान्य की शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नति और कल्याण पर विशेष ध्यान देना तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की पर्याप्त प्रतिशतता मुहैया कराकर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का कल्याण करना।

21 विभागों वाले आठ स्कूलों जिन्होंने विभिन्न विषयों में 22 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एवं 17 पी.एच.डी. के कार्यक्रम **(अनुबंध-1)** मुहैया कराए, के माध्यम से विश्वविद्यालय के लक्ष्य प्राप्त किए गए थे।

3.1.1 संगठनात्मक ढांचा

उप-कुलाधिपति (उ.कु.) विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी एवं शैक्षणिक प्रमुख है और सामान्य पर्यवेक्षण तथा विश्वविद्यालय के कार्यों पर नियंत्रण रखता है। विश्वविद्यालय की विशिष्ट गतिविधियां विभिन्न प्राधिकारियों अर्थात प्रबंधन बोर्ड (प्र.बो.), शैक्षिक परिषद,

योजना बोर्ड, अध्ययन बोर्ड और वित्त समिति द्वारा पर्यवेक्षित की जाती है। उ.कु. की सहायता कुलसचिव, वित्त अधिकारी, पुस्तकालयाध्यक्ष, स्कूलों के डीन और विभागाध्यक्ष द्वारा की जाती है। उ.कु. प्रबंधन बोर्ड, शैक्षिक परिषद, योजना बोर्ड और वित्त समिति का भी अध्यक्ष होता है।

3.2 लेखापरीक्षा अभिगम

विश्वविद्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत की गई थी।

3.2.1 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

विश्वविद्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2006-07 से 2011-12 की अवधि के लिए योजना, वित्तीय प्रबंधन, शैक्षिक गतिविधियों, मानव शक्ति प्रबन्धन और अवसंरचना के विकास से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच सम्मिलित है।

3.2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य यह जानना था कि क्या:

- विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना प्रक्रिया पर्याप्त एवं प्रभावी थी ;
- वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन विवेकपूर्ण था;
- प्रारम्भ किए गए शैक्षिक कार्यक्रम और अनुसंधान गतिविधियां, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थी;
- शिक्षण संकाय पर्याप्त था और,
- अवसंरचनात्मक सुविधाएं पर्याप्त थीं।

3.2.3 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्न से प्राप्त किए गए थे:

- बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994;
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) के दिशानिर्देश;
- सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 और भारत सरकार के अन्य आदेश/नियम;
- विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों की बैठकों की कार्यसूची तथा कार्यवृत्त

3.2.4 लेखापरीक्षा पद्धति

विश्वविद्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा जून 2011 में उ.कु. के साथ एक प्रवेश सम्मेलन के साथ आरम्भ हुई जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदण्ड तथा लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र पर चर्चा की गई थी। विश्वविद्यालय के अभिलेखों की जांच जून 2011 से दिसम्बर 2011 के दौरान की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का मसौदा फरवरी 2012 में विश्वविद्यालय तथा जून 2012 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.सं.वि.मं.) को प्रेषित किया गया था। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों तथा अनुशंसाओं की चर्चा हेतु 20 सितम्बर 2012 को उ.कु. के साथ निर्गम बैठक की गयी थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा अनुशंसाओं को विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। विश्वविद्यालय (सितम्बर 2012) तथा मंत्रालय (फरवरी 2013) से प्राप्त उत्तर को यथोचित रूप में प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

3.2 5 आभार प्रकट

हम लेखापरीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सहायता एवं सहयोग का आभार प्रकट करते हैं।

3.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.3.1 नियोजन प्रकिया

योजनाएं, लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त करने का माध्यम है। अतः संगठनात्मक या समग्र उद्देश्यों की स्थापना, नियोजन का पहला कदम है। नियोजन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं।

3.3.1.1 पाठ्यक्रमों का प्रारम्भ

30 दिसम्बर 2004 को भारत के राजपत्र द्वारा अधिसूचित शैक्षिक अध्यादेश के अनुसार, 17 स्कूलों एवं 55 विभागों को भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया जाना था (**अनुबंध-1**)। तथापि, 21 विभागों वाले केवल आठ स्कूल ही मार्च 2012 तक स्थापित किए गये थे।

संवीक्षा ने प्रकट किया कि शैक्षिक अध्यादेश में पारिभाषित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कोई दीर्घ/मध्यम/अल्प अवधि योजना नहीं बनायी गयी थी। यह

भी पाया गया था कि महत्वपूर्ण विद्यालयों जैसे भू-विज्ञान, ऊर्जा अध्ययन एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, भाषाएं एवं साहित्य, ललित कला, प्रदर्शन कला, वाणिज्य तथा अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को अभी भी स्थापित किया जाना था।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2012) कि धन की उपलब्धता के अनुसार चार विद्यालय भवनों[1] का निर्माण किया गया था। आगे यह भी आश्वासन दिया गया था कि वि.अ.आ./मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.सं.वि.मं.) द्वारा धन की उपलब्धता के अनुसार शेष विद्यालयों का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

उत्तर में संदर्भित चार विद्यालयों (भवनों) विश्वविद्यालय में पहले से ही संचालित है। उत्तर में शेष नौ विद्यालयों एवं 34 विभागों के लिए नियोजन प्रक्रिया व समयावधि के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। इसके अतिरिक्त, धन की अनुपलब्धता जो प्रमुख कारण के रूप में इंगित थी, को वि.अ.आ. द्वारा XIवीं योजना हेतु संस्वीकृति अनुदान के अनुपयोग के सन्दर्भ में आगे के पैरों में देखा जा सकता है।

3.3.1.2 XIवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन

वि.अ.आ. ने विश्वविद्यालय को XIवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) की आवश्यकताएं तीन सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था (फरवरी 2007)। विश्वविद्यालय ने पांच नए विद्यालयों तथा 17 विभागों एवं अन्य सुविधाओं अर्थात सभागार, केन्द्रीय पुस्तकालय, क्रीडा परिसर और स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के लिए ₹373 करोड़ की अंतिम समेकित XIवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की (जून 2008)। वि.अ.आ. ने दो विद्यालयों एवं अन्य भवनों के निर्माण के लिए ₹ 145.91 करोड़ का XIवीं योजना आवंटन अनुमोदित किया (मार्च 2009)।

[1] पर्यावरण विज्ञान, अम्बेडकर अध्ययन, जैविक विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी के स्कूल भवन निर्मित थे, और विधिक अध्ययन विद्यालय के भवनों का कार्य निर्माणाधीन था।

विश्वविद्यालय की भवन समिति द्वारा निर्माण कार्यों के प्राक्कलन को संस्वीकृति की प्राप्ति (मार्च 2009) के एक वर्ष चार माह बाद अंतिम रूप दिया गया (अगस्त 2010)। ₹145.91 करोड़ के कुल आवंटन में से वि.अ.आ. ने मार्च 2012 तक ₹113.35 करोड़[2] जारी किए थे। विश्वविद्यालय केवल ₹75.73 करोड़ (67 *प्रतिशत*) उपयोग कर सका तथा शेष ₹37.62 करोड़ XIवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक अप्रयुक्त रहे (मार्च 2012)। XIवीं पंचवर्षीय योजना को विलम्ब से अंतिम रूप दिए जाने (अगस्त 2010) एवं कार्यों के प्राक्कलन को विलम्ब से अंतिम रूप दिए जाने के कारण योजना के तीन वर्ष 6 माह बाद भी बड़े विकासात्मक निर्माण कार्यों को ही प्रारम्भ किया जा सका (अक्तूबर 2012)।

XIवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव एवं निर्माण कार्यों के प्राक्कलन को अंतिम रूप देने में विलम्ब तथा कुल जारी निधियों का उपयोग करने में विश्वविद्यालय की असमर्थता के परिणामस्वरूप इसके नियोजित भवन का समापन नहीं हुआ (**अनुबंध-2**)।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2012) कि, पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए इस विश्वविद्यालय का बारहवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव वि.अ.आ. को समय पर प्रस्तुत किया गया था।

अनुशंसा

❖ *विश्वविद्यालय, वि.अ.आ./मा.सं.वि.मं. के परामर्श से अपने शैक्षिक अध्यादेश में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करे।*

2

(₹ करोड़ में)

विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित	वि.अ.आ. द्वारा आवंटित	वि.अ.आ. द्वारा जारी		व्यय	संचयी अप्रयुक्त शेष
		वर्ष	धनराशि		
373.00 (जून 2008)	145.91 (मार्च 2009)	2007-08 (08.06.2007)	3.35 (अग्रिम अनुदान)	0.59	2.76
		2008-09	--	3.37	-0.61
		2009-10 (31.03.2009) (31.03.2010)	08-09 के लिए 10.00 एवं 09-10 के लिए12.00	6.57	14.82
		2010-11 (21.12.2010)	29.00	27.55	16.27
		2011-12 (27.11.2011) (04.01.2012)	9.50 49.50	37.65	37.62
		योग	113.35	75.73	37.62 (संचयी)

3.3.2 वित्तीय प्रबंधन

वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय गतिविधियों की योजना, आयोजन, निर्देशन तथा नियंत्रण से सम्बन्धित है तथा इसमें प्रापण और उद्यम की निधियों का उपयोग शामिल है। इसका अभिप्राय उद्यम के वित्तीय संसाधनों पर सामान्य प्रबंधन सिद्धान्तों को लागू करने से है।

3.3.2.1 निधियों का उपयोग

विश्वविद्यालय मुख्यतः वि.अ.आ. से प्राप्त अनुदानों से वित्तपोषित होता है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय छात्रों से प्राप्त शुल्क के निवेश एवं बचत खातों से प्राप्त ब्याज आदि के माध्यम से अपना स्वयं का राजस्व सृजित करता है।

वर्ष 2006-12 के दौरान निधियों की प्राप्ति एवं उपयोग का वर्षवार विवरण निम्नानुसार दर्शाया है:-

तालिका-1:निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त अनुदानें	अन्य आय	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग की कुल निधियां	अप्रयुक्त निधियां[3]
2006-07	1.04	7.99	11.26	20.29	17.73	2.56
2007-08	2.56	16.13	8.59	27.28	21.22	6.06
2008-09	6.06	7.93	12.76	26.75	24.23	2.52
2009-10	2.52	37.96	4.31	44.79	20.68	24.11
2010-11	24.11	46.77	6.85	77.73	46.84	30.89
2011-12	30.89	79.33	3.68	113.90	59.60	54.30

विश्वविद्यालय कुल धनराशि का उपयोग नहीं कर सका और पूर्व वर्ष की शेष धनराशि को अग्रेषित किया जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2007 में धनराशि ₹ 2.56 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2012 को ₹ 54.30 करोड़ हो गयी। संवीक्षा ने प्रकट किया कि इस धनराशि का बड़ा हिस्सा ₹ 47.26 करोड़ (₹ 43.52 करोड़ योजनागत अनुदान, ₹ 1.06 करोड़ रिहायशी कोचिंग अकादमी के लिए, ₹ 1.30 करोड़ जगजीवन राम छात्रावास के लिए और ₹ 1.38 करोड़ जगजीवन राम बालिका छात्रावास के लिए) योजना तथा निर्माण अभिकरणों को निर्माण कार्य सौंपने में विलम्ब के कारण था।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2012) कि योजनागत के मामले में उन्हें अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं सा.वि.नि. का पालन करना था, जबकि गैर-योजनागत व्यय के

[3] योजनागत और गैर-योजनागत

मामले में अनुदान अगले वित्तीय वर्ष के लिए मार्च के अंत में जारी[4] किया गया था इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जा सका।

दिशानिर्देशों के अनुपालन में विलम्ब का कारण उत्तर से मेल नहीं खाता है। आगे अप्रयुक्त राशि की बढ़ती प्रवृत्ति यह स्थापित करती है कि जो धनराशि मार्च के अंत में प्राप्त हुई, उसे अगले वर्ष में उपयोग नहीं किया जा सका।

विश्वविद्यालय को निधि प्रवाह के संबंध में दीर्घ/लघु अवधि योजना तैयार करनी चाहिए तथा तदनुसार निधियों के शीघ्र उपयोग की योजना बनानी चाहिए।

3.3.2.2 निधियों का निवेश

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर अधिनियम 1994 अधिनियम के अध्यादेश 6 (दूसरी अनुसूची) के अनुसार वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा, वित्तीय नीति पर सलाह देगा और विश्वविद्यालय के निवेश का प्रबन्धन एवं नियंत्रण करेगा।

यद्यपि, विश्वविद्यालय ने 31 मार्च 2012 तक ₹ 2.52 करोड़ से ₹ 54.30 करोड़ तक अप्रयुक्त निधियों की लगातार वृद्धि देखी परन्तु इसने निधियों के प्रबन्धन हेतु कोई निवेश नीति तैयार नहीं की थी (मार्च 2012)। अप्रयुक्त निधि, समीक्षा की अवधि के दौरान बचत खातों में कम ब्याज दर (लगभग 3.5 से 4.0 *प्रतिशत*) पर पड़ी रही। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर में, विश्वविद्यालय में उपलब्ध निधियों को निवेश करने के लिए एक निवेश और मॉनीटरिंग समिति गठित की गई थी (मार्च 2012)।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2012) कि वि.अ.आ. से प्राप्त अनुदान के निवेश के सम्बन्ध में कई दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं थे। प्रबन्धन ने आगे बताया कि, वि.अ.आ. ने अनुदान व्यय हेतु दिया है, न कि निवेश हेतु।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय औचित्य में अपेक्षित था कि उपलब्ध निधियों का निवेश बेहतर लाभ पाने के लिए किया जाना चाहिए। यहां तक कि बैंकों द्वारा फ्लेक्सी खाता सुविधाएं प्रदान की जाती थी, जिससे निष्क्रिय निधियां भी बेहतर लाभ प्राप्त कर सकती थी। इसके अलावा वि.अ.आ. द्वारा निष्क्रिय निधियों के निवेश पर कोई रोक नहीं थी।

---

[4] ₹ 0.73 करोड़ की अग्रिम अनुदान दोनों वर्षों 2010-11 एवं 2011-12 के लिए जारी की गई थी।

अनुशंसाएं

- ❖ *विश्वविद्यालय को उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु प्राप्त अनुदान के संदर्भ में व्यय की योजना बनानी चाहिए।*
- ❖ *विश्वविद्यालय को निष्क्रिय निधियों का उपयुक्त निवेश सुनिश्चित करना चाहिए।*

3.3.3 शैक्षणिक कार्यक्रम

3.3.3.1 ग्रहण क्षमता का उपयोग

विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए 22 विभिन्न पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रथम वर्ष के नामांकन से सम्बन्धित विश्लेषण ने प्रकट किया कि, 17 पाठ्यक्रमों में नामांकन संतोषजनक अर्थात 75 *प्रतिशत* से अधिक थे। तथापि, पांच पाठ्यक्रमों[5] में औसत रिक्तता 25 *प्रतिशत* से अधिक (25 से 52 प्रतिशत के बीच) थी जैसा **अनुबंध 3** में दर्शाया गया है।

इन पाठ्यक्रमों में छात्रों की अल्प रूचि दर्शाती है कि विश्वविद्यालय में प्रारम्भ पाठ्यक्रमों का चयन मांग के उचित मूल्यांकन के आधार पर नहीं किया गया था।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2012) कि, विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष अखिल भारतीय स्तर की प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है और छात्रों को योग्यता के आधार पर प्रवेश देता है। प्रबन्धन ने विश्वविद्यालय में प्रारम्भ पाठ्यक्रमों का चयन उचित अध्ययन के आधार पर न करने की बात स्वीकार करते हुए सूचित किया कि अब अधिक छात्रों को आकर्षित करने के लिए हमारे शैक्षणिक अध्यादेश के अनुसार अधिक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए प्रयास किए गए हैं।

3.3.3.2 गुणवत्ता आश्वासन की आवश्यकता

राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद (रा.नि.प्र.प.) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) की अनुशंसाओं का परिणाम थीं, जिसने भारत में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता को कायम रखने पर विशेष बल दिया। रा.नि.प्र.प. को वि.अ.आ. द्वारा उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों

---

[5] अर्थशास्त्र 35%; राजनीति शास्त्र-37%; मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन-35%; व्यावहारिक पशु विज्ञान-31% एवं व्यावहारिक सांख्यिकी-52%।

का निर्धारण तथा प्रत्यापन हेतु एक प्रमुख राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन अभिकरण के रूप में 1994 में स्थापित किया गया था।

हमने पाया कि विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय या इसके किसी भी पाठ्यक्रम के प्रत्यायन के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था।

प्रबंधन ने (अगस्त 2012) बताया कि विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहा है। इसने प्रत्येक विभाग में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल (आ.गु.आ.से.) की स्थापना की है जो रा.नि.प्र.प. से प्रत्यायन प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है।

3.3.3.3 उत्कृष्टता केन्द्र

विश्वविद्यालय ने पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण विधि, बौद्धिक सम्पदा अधिकार कानून, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में उत्कृष्टता केन्द्र विकसित करने के लिए योजना बनायी थी (2007-09) लेकिन इसे मार्च 2012 तक प्राप्त नहीं किया जा सका।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2012) कि विश्वविद्यालय को 'उत्कृष्टता केन्द्र' के रूप में न केवल कानून विभाग एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग बनाने की दृढ़ बचनबद्धता है बल्कि यह अपने सभी विभागों को उत्कृष्टता केन्द्र बनाने हेतु प्रतिबद्ध भी था। विश्वविद्यालय ने आगे बताया कि वह बारहवीं पंचवर्षीय योजना में एक या दो क्षेत्रों में उत्कृष्टता केन्द्रों को स्थापित करने में समर्थ होगा।

अनुशंसा

- ❖ *विश्वविद्यालय, रा.नि.प्र.प. से अपने पाठ्यक्रमों का प्रत्यायन कराने हेतु उचित कदम उठाए।*

3.3.4 श्रमशक्ति प्रबन्धन

श्रमशक्ति प्रबन्धन, संगठन की मानव संसाधन आवश्यकताओं की योजना एवं संसाधन तथा उनका इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करता है। चलायमान बने रहने हेतु संगठन को पर्याप्त स्टाफ एवं प्रत्येक पद पर उच्च योग्यता वाले व्यक्तियों के होने की आवश्यकता है।

3.3.4.1 स्टाफ की कमी

वि.अ.आ. विभागों की संख्या के आधार पर विश्वविद्यालय में पदों की संख्या स्वीकृत करता है। प्रत्येक वर्ष हेतु स्वीकृत पदों एवं कार्यरत शिक्षण स्टाफ की स्थिति निम्न थी;

तालिका-2: संस्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत कर्मचारी

वर्ष	संस्वीकृत पद	कार्यरत कर्मचारी	रिक्त पद एवं इसकी स्वीकृत पद से प्रतिशतता
2006-07	87	38	49(56)
2007-08	87	37	50(57)
2008-09	130	76	54(41)
2009-10	130	76	54(41)
2010-11	130	76	54(41)
2011-12	130	108	22 (17)

जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है, शिक्षण स्टाफ की कमी 17 से 57 *प्रतिशत* के बीच थी। 2008-09 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पांच विभागों[6] हेतु प्रत्येक विभाग में 6 पद स्वीकृत किए गए थे जिन्हें शैक्षणिक वर्ष 2010-11 में स्थापित किया गया था। तथापि, संकायों की नियुक्तियां शैक्षणिक सत्र 2011-12 के दौरान की गयी थी।

आगे संवीक्षा ने प्रकट किया कि, संकायों की कमी के कारण 2006-12 के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा मात्र 22 अनुसंधान परियोजनाएं प्रारम्भ की गई थीं जिसमें से केवल दो परियोजनाओं को पूर्ण किया जा सका था (मार्च 2012)। इस प्रकार विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान क्रियाकलापों में नगण्य प्रगति थी।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2012) कि विश्वविद्यालय में श्रमशक्ति की कमी को दूर करने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में रिक्त पदों पर प्रशिक्षित/योग्य श्रमशक्ति को नियुक्त करने हेतु अपनी प्राथमिकता निर्धारित कर रहा है।

अनुशंसा

- ❖ *विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों के अनुसार शिक्षा और अनुसंधान क्रियाकलापों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए रिक्त पदों को भरें।*

[6] औषधि विज्ञान, व्यावहारिक भौतिकी, व्यावहारिक रसायन, व्यावहारिक गणित एवं ग्रामीण प्रबन्धन

3.3.5 अवसंरचना सुविधाएं

3.3.5.1 बुनियादी सुविधाओं की कमी

किसी भी शैक्षणिक संस्थान के लिए पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं आवश्यक हैं। यह पाया गया था कि 1999-2000 तक विश्वविद्यालय के पास केवल एक ही विद्यालय इमारत थी, जो दो विद्यालयों (सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय) और पर्यावरण विज्ञान विद्यालय की आवश्यकता को पूरा कर रही थी। पर्यावरण विज्ञान विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य अप्रैल 2008 में पूरा हुआ था। 2000-01 से 2011-12 के दौरान केवल एक अतिरिक्त विद्यालय भवन सहित छः विद्यालयों और 18 विभागों (**अनुबंध-4**) को विश्वविद्यालय से जोड़ा गया था। परिणामस्वरूप, इन विद्यालयों/विभागों पर स्थान के सीमित उपयोग के अंतर्गत संचालित करने का दवाब डाला गया है, जैसे व्याख्यान कक्ष का पारी वार उपयोग, परिसंचरण क्षेत्रों में केबिनों का निर्माण, आवासों को कार्यालय के रूप में एवं प्रशासनिक भवन का प्रयोग कक्षा हेतु करना।

आगे यह भी पाया गया था कि, छात्रावास सुविधा की कमी थी और 50 *प्रतिशत* से ज्यादा विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा प्रदान नहीं की गई थी। यद्यपि, अधिनियम की धारा 8 में यह प्रावधान है कि "विश्वविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी सामान्यतः एक हॉल या छात्रावास में रहता है"। अन्य सामान्य सुविधाएं अर्थात स्वास्थ्य केन्द्र, खेल परिसर और परिवहन सुविधा (विश्वविद्यालय लखनऊ शहर से लगभग 15 कि.मी. दूर है) या तो उपलब्ध नहीं थी या फिर अपर्याप्त थी।

प्रबंधन ने माना (अगस्त 2012) कि विभिन्न विद्यालयों के लिए भवनों की अतिशीघ्र आवश्यकता है। आगे यह सूचित किया गया था कि अन्य आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2013) कि अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय को अपने वैधानिक निकायों नामतः शैक्षणिक परिषद और प्र.बो. की स्वीकृति से विद्यालय और विभाग स्थापित करने का अधिकार है और वह शैक्षणिक कार्यों को सुचारू रूप से करने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचे को भी स्थापित कर सकता है। आगे यह बताया गया कि विश्वविद्यालय वास्तव में जारी की गई निधियों का प्रयोग नहीं कर सका था।

3.3.5.2 सेन्टेज प्रभार का परिहार्य भुगतान

वि.अ.आ. द्वारा ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए भवनों, सड़कों आदि के निर्माण के लिए ₹100 करोड़ की राशि संस्वीकृत की गई थी (मार्च 2009)। भवन समिति, योजना

अवधि के भीतर निधियों का उपयोग करने तथा संस्वीकृत अनुदान व्यपगत न हो, की दृष्टि से, एक वर्ष के भीतर कार्य पूरा करना चाहती थी, तथा तदनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) से पूछा गया कि क्या वे सभी 10 परियोजनाओं को 12 महीने में पूरा कर सकेंगे। के.लो.नि.वि. ने निर्धारित समय में मात्र तीन कार्यों को पूरा कर सकने में समर्थता व्यक्त की। विश्वविद्यालय ने (सितम्बर/अक्तूबर 2010) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को तीन निर्माण कार्य जिनका अनुमानित व्यय ₹ 28.10 करोड़ था, पांच निर्माण कार्य (अक्तूबर 2010) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अनुमानित दर ₹ 94.76 करोड़ (**अनुबन्ध-2**) पर तीन राज्य निगमों[7] को दिया और शेष दो कार्य मार्च 2012 तक प्रारम्भ नहीं किए जा सके थे। हालांकि, निगमों ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की दर से अधिक ₹ 6.19 करोड़ सेन्टेज प्रभार लिया था। प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बिना विश्वविद्यालय ने निर्माण कार्य को पारदर्शी, तुलनात्मक और उचित प्रकार से कराने से वंचित रखा। इसके अतिरिक्त, कोई भी कार्य निर्धारित एक वर्ष की अवधि अर्थात् जनवरी 2012 तक पूरा नहीं हुआ। दिनांक 31 मार्च 2012 को निर्माण कार्यों की प्रगति 20 से 70 *प्रतिशत* के बीच थी। यदि निर्माण कार्य निगम के स्थान पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को दिया गया होता तो ₹ 6.19 करोड़ सेन्टेज प्रभार को बचाया जा सकता था।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2012) कि सा.वि.नि. के प्रावधानों के अनुसार तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात ही कार्यों को विभिन्न निर्माण एजेंसियों को दिया गया था, क्योंकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने निर्धारित समय में निर्माण कार्यों को समाप्त करने में असमर्थता दर्शायी थी। विश्वविद्यालय ने आगे बताया कि उनका केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ अच्छा अनुभव नहीं रहा था। इसने न केवल Xवीं योजना के निर्माण कार्यों में देर की, बल्कि लेखा समायोजन में भी देरी की।

सेन्टेज प्रभार देने के बावजूद कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने की असमर्थता को उत्तर में स्पष्ट नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, सा.वि.नि. नामांकन के आधार पर कार्यों के आवंटन की अनुमति नहीं देता है। इस प्रकार, अधिक भुगतान के बाद भी योजना के अनुसार कार्य पूरा नहीं किया जा सका।

---

[7] उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम और कन्सट्रक्शन एवं डिजाइन सेवाएं, उत्तर प्रदेश जल निगम।

अनुशंसा

❖ *विश्वविद्यालय को समुचित भवन के साथ-साथ अन्य सुविधाएं जैसे छात्रावास, स्वास्थ्य केन्द्र, खेल परिसर और आवागमन की सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु उचित निर्णय लेने चाहिए।*

3.4 निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा में विश्वविद्यालय की कार्य पद्धति में निम्नलिखित कमियां पायी गयी:

- विश्वविद्यालय, विद्यालय और विभागों को स्थापित करने से सम्बन्धित उद्देश्य को पूरा नहीं कर सका।
- XIवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव तथा अनुमान को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण योजनावधि के समापन के बाद भी XIवीं योजना के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूरा नहीं किया जा सका।
- अप्रयुक्त निधियों का निवेश न किए जाने के कारण विश्वविद्यालय, बेहतर लाभ प्राप्त करने से वंचित रहा।
- शिक्षण कर्मचारियों की कमी 17 से 57 *प्रतिशत* के मध्य रही थी।
- विश्वविद्यालय, अपर्याप्त आधारभूत अवसंरचना एवं अन्य सुविधाओं जैसे छात्रावास, स्वास्थ्य केन्द्र, खेल परिसर तथा आवागमन सुविधाओं की कमी के साथ कार्य रहा था।

(रॉय मथरानी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय

नई दिल्ली
दिनांकः 8 अगस्त 2013

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांकः 14 अगस्त 2013

अनुबंध-1

स्कूल एवं विभागों की स्थिति (31.3.2012 को)

(पैराग्राफ 3.1 एवं 3.3.1.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	स्थापित किये जाने वाले स्कूल का नाम	स्थापित किया गया या नहीं	स्थापना का वर्ष	स्थापित किये जाने वाले विभागों का नाम	स्थापित किया गया या नहीं	स्थापना वर्ष
1	अम्बेडकर अध्ययन स्कूल	हाँ	2000-01	अर्थशास्त्र विभाग	हाँ	2000-01
				इतिहास विभाग	हाँ	2000-01
				राजनीति विज्ञान विभाग	हाँ	2008-09
				दर्शन शास्त्र विभाग	नहीं	-
				सामाजिक कार्य विभाग	नहीं	-
				शिक्षा विभाग	नहीं	-
				समाज शास्त्र विभाग	हाँ	2008-09
2	सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का स्कूल	हाँ	1997-98	सूचना विज्ञान एवं पुस्तकालय विभाग	हाँ	1997-98
				कम्प्यूटर विज्ञान विभाग	हाँ	1997-98
				सूचना एवं तकनीकी विभाग	हाँ	2007-08
				पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग	हाँ	2008-09
				सतत शिक्षा एवं सामुदायिक सेवाएं विभाग	नहीं	-
3	पर्यावरण विज्ञान का स्कूल	हाँ	1997-98	पर्यावरण प्रभाव अध्ययन विभाग	नहीं	-
				पुनरूद्धार एवं संरक्षण परिस्थिति विज्ञान विभाग	नहीं	-
				पर्यावरण विज्ञान विभाग	हाँ	1997-98
				सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग	हाँ	2007-08
4	भू-विज्ञान का स्कूल	नहीं	-	व्यावहारिक भू-विज्ञान विभाग	नहीं	-
				भू-भौतिक विभाग	नहीं	-
				भू-रसायन विभाग	नहीं	-
5	जीव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का स्कूल	हाँ	2004-05	व्यावहारिक भू विभान विभाग (रेशम)	हाँ	2001-02
				व्यावहारिक वनस्पति विज्ञान (बागवानी)	हाँ	2004-05
				जैव प्रौद्योगिकी विभाग	हाँ	2005-06
				औषधि विज्ञान विभाग	हाँ	2010-11
6	गृह विज्ञान का स्कूल	हाँ	2008-09	मानव विकास एवं परिवार अध्ययन विभाग	हाँ	2008-09
				गृह प्रबन्धन विभाग	नहीं	-
				खाद्य एवं पोषण विभाग	नहीं	-
				क्लॉथिंग एवं टेक्सटाइल विभाग	नहीं	-
				गृह विभाग विस्तार विभाग	नहीं	-
7	ऊर्जा अध्ययन एवं प्रौद्योगिकी का स्कूल	नहीं	-	नवीकरणीय ऊर्जा विभाग	नहीं	-
				गैर नवीकरणीय ऊर्जा विभाग	नहीं	-
8	सामाजिक विज्ञान का स्कूल	नहीं	-	मानव शास्त्र विभाग	नहीं	-
				बौद्ध अध्ययन विभाग	नहीं	-
9	प्रबन्धन अध्ययन का स्कूल	हाँ	2010-11	ग्रामीण प्रबन्धन का विभाग	हाँ	2010-11
10	शारीरिक विज्ञान का स्कूल	हाँ	2010-11	इलैक्ट्रानिक्स एवं दूरसंचार विभाग	नहीं	-
				व्यावहारिक भौतिकी विभाग	हाँ	2010-11
				व्यावहारिक गणित एवं सांख्यिकीय विभाग	हाँ	2010-11
				व्यावहारिक रसायन विभाग	हाँ	2010-11
11	मानविकी स्कूल	नहीं	-	मनोविज्ञान विभाग	नहीं	-
12	भाषा एवं साहित्य का स्कूल	नहीं	-	संस्कृत एवं पाली विभाग	नहीं	-
				हिन्दी विभाग	नहीं	-
				अंग्रेजी एवं यूरोपियन भाषा विभाग	नहीं	-
				उर्दू विभाग	नहीं	-

				एशियन भाषा विभाग	नहीं	-
13	ललित कला का स्कूल	नहीं	-	चित्रकारी विभाग	नहीं	-
				मूर्तिकला विभाग	नहीं	-
				म्यूजियोलॉजी विभाग	नहीं	-
				व्यावहारिक कला विभाग	नहीं	-
14	प्रदर्शन कला का स्कूल	नहीं	-	संगीत विभाग	नहीं	-
				नृत्य विभाग	नहीं	-
				नाटक विभाग	नहीं	-
15	वाणिज्य का स्कूल	नहीं	-	वित्त एवं लेखा विभाग	नहीं	-
				व्यवसाय अध्ययन विभाग	नहीं	-
				बैकिंग विभाग	नहीं	-
16	प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष विज्ञान का स्कूल	नहीं	-	अंतरिक्ष विज्ञान विभाग	नहीं	-
17	विधिक अध्ययन का स्कूल	हाँ	2000-01	मानवाधिकार विभाग	हाँ	2000-01
				विधि विभाग	हाँ	2008-09

अनुबंध-2

ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की स्थिति

(पैराग्राफ 3.3.1.2 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति की तिथि*	प्रशासनिक स्वीकृति राशि	स्वीकृत धनराशि	सेन्टेज प्रभार राशि (प्राक्कलन का 7 *प्रतिशत*)	निष्पादित एजेन्सी का नाम	प्रारम्भ करने/पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31.3.12 को भौतिक एवं वित्तीय प्रगति	
								भौतिक (*प्रतिशत* में)	वित्तीय *प्रतिशत* में)
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14
1	केन्द्रीय पुस्ताकलय	16.03.2009	31.32	20.00	2.05	उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम	19.01.2011 / 18.01.2012	38	6.43
2	1200 क्षमता का सभागार	16.03.2009	24.61	15.00	1.61	उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम	29.01.2011 / 28.01.2012	42	4.04
3	विधिक अध्ययन हेतु स्कूल	16.03.2009	8.75	8.00	0.57	उ.प्र. समाज कल्याण निगम	01.12.2010 / 03.01.2012	20	1.62
4 (क)	1000 किलो लीटर क्षमता के ओवर हैड टैंक का निर्माण के साथ भूमिगत स्टोरेज ट्यूबबेल, मेन तथा बाह्य पानी लेन	16.03.2009	8.46	8.00	0.55	सी.एण्ड डी. सेवाएं उ.प्र. जल निगम	01.02.2011 / 31.10.2011	65	3.05
4 (ख)	बाह्य सेवाओं का निर्माण जेसे सड़कें, ट्रंक, सीवर लाइनें, ड्रेनेज तथा फुटपाथ आदि	16.03.2009	14.12	12.00	0.92	सी.एण्ड डी. सेवाएं उ.प्र. जल निगम	01.04.2011 / 6.1.2012	30	2.10
5	आवासी कोचिंग अकादमी#	09.09.2009	7.50	7.00	0.49	उ.प्र. समाज कल्याण विभाग	04.10.2010 / 03.01.2012	70	3.89
6	अतिरिक्त दो मंजिला 50 बेड का लड़कियों का छात्रावास	16.03.2009	3.00	3.00	शून्य	के.लो.नि.वि.	28.04.2009/ 19.03.2010	100	2.18
7	प्रत्येक 272 क्षमता के लड़कों के दो छात्रावास	16.03.2009	14.07	14.00	शून्य	के.लो.नि.वि.	01/2011 01/2012	92	12.60
8	जैव प्रौद्योगिकी एवं जैव विज्ञान के विद्यालय भवन का निर्माण (प्रथम चरण)	16.03.2009	11.03	10.00	शून्य	के.लो.नि.वि.	12/2010 12/2011	95	9.00
9	नीचे के क्षेत्र में जमीन भराई	16.03.2009	-	5.00	कार्य प्रारम्भ नहीं किए गए				
10	बाह्य विद्युतीकरण जैसे 11/44 के.वी. सब-स्टेशन का निर्माण एवं केबिल बिछाना	16.03.2009	-	6.00	कार्य प्रारम्भ नहीं किए गए				
	योग		**122.86**	**108.00**	**6.19**				

* सभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत।

\# यह कार्य ₹ 101.00 करोड़ के अतरिक्त स्वीकृत था।

अनुबंध-3

रिक्त पदों के सापेक्ष ग्रहण क्षमता

(पैराग्राफ 3.3.3.1 के संदर्भ में)

क्र. सं.	विषय	वर्ष																		कुल 2006-2012 के लिए			कुल नामांकन (*प्रतिशत* में)	रिक्त पद (*प्रतिशत* में)
		2006-07			2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12							
		अ	ब	स	अ	ब	स	अ	ब	स	अ	ब	स	अ	ब	स	अ	ब	स	कुल ग्रहण	कुल नामांकन	कुल रिक्त पद		
1	अर्थशास्त्र	30	6	24	30	22	8	40	32	8	50	38	12	40	31	9	100	58	42	290	187	103	64.48	35.52
2	इतिहास	30	17	13	20	27	0	40	21	19	46	33	13	50	37	13	50	43	7	236	178	58	75.42	24.58
3	राजनीति विज्ञान							40	13	27	40	17	23	40	39	1	40	32	8	160	101	59	63.13	36.88
4	समाज शास्त्र							30	26	14	30	30	0	46	35	11	50	43	7	156	134	22	85.90	14.10
5	व्यावहारिक पशु विज्ञान	30	4	26	20	13	7	30	23	7	34	26	8	38	33	5	46	38	8	198	137	61	69.19	30.81
6	व्यावहारिक वनस्पति विज्ञान	30	29	1	30	30	0	30	30	0	34	34	0	36	30	6	30	35	0	190	188	2	98.95	1.05
7	जैवप्रौद्योगिकी	30	28	2	20	20	0	26	24	2	28	28	0	30	32	0	30	30	0	164	162	2	98.78	1.22
8	औषधि विज्ञान													28	28	0	30	30	0	58	58	0	100.00	0.00
9	पर्यावरण विज्ञान	30	25	5	20	20	0	30	30	0	34	34	0	40	42	0	48	48	0	202	199	3	98.51	1.49
10	पर्यावरण सूक्ष्म जैव विज्ञान				20	19	1	26	26	0	28	28	0	30	28	2	34	34	0	138	135	3	97.83	2.17
11	मानव विकास एवं परिवार कल्याण							30	12	18	40	31	9	40	29	11	40	26	14	150	98	52	65.33	34.67

12	कम्प्यूटर विज्ञान	30	27	3	30	30	0	30	30	0	34	34	0	35	34	1	34	34	0	193	189	4	97.93	2.07
13	सूचना प्रौद्योगिकी				15	15	0	20	20	0	24	24	0	34	25	9	35	35	0	128	119	9	92.97	7.03
14	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	30	27	3	30	30	0	30	30	0	34	26	8	34	33	1	36	36	0	194	182	12	93.81	6.19
15	जनसंचार एवं पत्रकारिता							30	30	0	36	36	0	36	36	0	40	40	0	142	142	0	100.00	0.00
16	मानव अधिकार	30	21	9	20	20	0	30	31	0	32	33	0	31	30	1	30	30	0	173	165	8	95.38	4.62
17	विधि							30	30	0	30	29	1	30	30	0	36	36	0	126	125	1	99.21	0.79
18	व्यावहारिक भौतिकी													26	25	1	40	40	0	66	65	1	98.48	1.52
19	व्यावहारिक रसायन													30	26	4	25	36	0	55	62	0	112.73	0.00
20	व्यावहारिक गणित													30	24	6	30	33	0	60	57	3	95.00	5.00
21	व्यावहारिक सांख्यिकी													30	4	26	30	25	5	60	29	31	48.33	51.67
22	ग्रामीण प्रबंधन													40	36	4	46	46	0	86	82	4	95.35	4.65
योग		**270**	**184**	**86**	**255**	**246**	**16**	**492**	**408**	**95**	**554**	**481**	**74**	**774**	**667**	**111**	**880**	**808**	**91**	**3225**	**2794**	**438**		

अ - ग्रहण क्षमता ब - छात्रों का नामांकन स - रिक्त पद

अनुबंध-4
विभागों एवं भवनों की स्थिति

(पैराग्राफ 3.3.5.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	विभाग का नाम	विभाग की स्थापना का वर्ष	विद्यालय के लिए भवन की स्थिति
1.	अम्बेडकर अध्ययन के लिए विद्यालय	अर्थशास्त्र विभाग	2000-01	उपलब्ध
		इतिहास विभाग	2000-01	उपलब्ध
		राजनीति शास्त्र विभाग	2008-09	उपलब्ध
		समाज शास्त्र विभाग	2008-09	उपलब्ध
2.	पर्यावरण विज्ञान के लिए विद्यालय	पर्यावरण विज्ञान विभाग	1997-98	उपलब्ध
		माइक्रोबायोलाजी विभाग	2007-08	उपलब्ध
3	सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए विद्यालय	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग	1997-98	अनुपलब्ध
		कम्प्यूटर विज्ञान विभाग	1997-98	अनुपलब्ध
		सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2007-08	अनुपलब्ध
		जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग	2008-09	अनुपलब्ध
4	जैव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए विद्यालय	व्यावहारिक पशु विज्ञान विभाग (रेशम)	2001-02	अनुपलब्ध
		व्यावहारिक वनस्पति विज्ञान विभाग (बागवानी)	2004-05	अनुपलब्ध
		जैव प्रौद्योगि विभाग	2005-06	अनुपलब्ध
		औषधि विज्ञान विभाग	2010-11	अनुपलब्ध
5	गृह विज्ञान के लिए विद्यालय	मानव विकास एवं परिवार अध्ययन विभाग	2008-09	अनुपलब्ध
6	प्रबन्धन अध्ययन के लिए विद्यालय	ग्रामीण प्रबन्धन विभाग	2010-11	अनुपलब्ध
7	शारीरिक विज्ञान के लिए विद्यालय	व्यावहारिक भौतिकी विभाग	2010-11	अनुपलब्ध
		व्यावहारिक गणित एवं सांख्यिकी विभाग	2010-11	अनुपलब्ध
		व्यावहारिक रसायन विभाग	2010-11	अनुपलब्ध
8	विधि अध्ययन के लिए विद्यालय	मानवाधिकार विभाग	2000-01	अनुपलब्ध
		विधि विभाग	2008-09	अनुपलब्ध

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

2013-14

वेबसाइटः http://www.cag.gov.in